



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 355 राँची, मंगलवार, 2 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 जून, 2022

संख्या-5/आरोप-1-408/2014 का०- 3821-- श्री मनौवर आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-794/03), तत्कालीन निगरानी पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के विरुद्ध व्यक्तिगत लाभ के लिए आपराधिक षडयंत्र के तहत अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राँची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्लॉट नं०-1735 की भूमि पर निर्माण हेतु बिल्डर मेसर्स ऐशलेशा कॉरपोरेशन लि०, राँची को अवैध तरीके से लाभ पहुँचाने संबंधी आरोपों हेतु विभाग द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-11912, दिनांक 18.10.2012 द्वारा श्री आलम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोप संख्या-1(क) को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-1(ख) को प्रमाणित पाया गया।

श्री आलम के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विहित प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् विभागीय संकल्प सं०-9310, दिनांक 26.10.2015 द्वारा श्री आलम को राज्य सरकार की सेवा से हटाने का दण्ड दिया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री आलम द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) सं०-2972/2017 दायर की गई, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2019 को न्यायादेश पारित है, जिसके अनुसार आदेश प्राप्ति के तीन माह के अंदर अपील का निष्पादन किया जाना है।

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री आलम के अपील अभ्यावेदन में समर्पित सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से अपील अभ्यावेदन को निम्न आदेश के साथ निष्पादित किया जाता है-

(क) श्री मनौवर आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-794/03), तत्कालीन निगरानी पदाधिकारी, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची (सेवा मुक्त) को सेवा से हटाने संबंधी अधिरोपित दण्ड से संबंधित संकल्प सं०-9310, दिनांक 26.10.2015 को विलोपित करते हुए श्री आलम को राज्य सरकार की सेवा में पुनर्बहाल किया जाता है। श्री आलम की राज्य सरकार की सेवा में पुनर्बहाली इस संकल्प निर्गत होने के पश्चात् उनके द्वारा विभाग में योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

(ख) श्री मनौवर आलम के विरुद्ध प्रमाणित आरोप के लिये झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जाता है।

(ग) सेवा से हटायी गयी अवधि की गणना मात्र पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(घ) सेवा से हटायी गयी अवधि के लिए इन्हें किसी प्रकार का वेतन एवं अन्य भत्ते अनुमान्य नहीं होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनौवर आलम एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।
